

**राजस्थान सरकार**  
**विधि एवं विधिक कार्य विभाग**

क्रमांक: प.22(1)न्याय / 19


जयपुर, दिनांक: 30.11.2019

:: आज्ञा ::

राजस्थान विधि सेवा के निम्नांकित अधिकारियों/कर्मचारियों को अपने पद के कार्य के साथ-साथ उनके नाम के सम्मुख अंकित विभाग में प्रशासनिक आधार पर एतद्द्वारा अतिरिक्त कार्य किये जाने हेतु तुरन्त प्रभाव से निर्देशित किया जाता है :-


क्र. सं.	नाम सर्व श्री / श्रीमती / सुश्री	वर्तमान पदस्थापन स्थान	अतिरिक्त कार्य संपादन करने का स्थान / विभाग	विशेष विवरण
1	श्री ओम प्रकाश शर्मा	सहायक विधि परामर्शी मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर	उप विधि परामर्शी एवं विशेषाधिकारी, राजस्व मंडल, जयपुर	रिक्त पद
2	गिरवर सिंह	वरिष्ठ विधि अधिकारी महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर	सहायक विधि परामर्शी महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर	रिक्त पद
3	सुधीर कुमार वर्मा	कनिष्ठ विधि अधिकारी निदेशालय, विशेष योग्यजन, जयपुर	वरिष्ठ विधि अधिकारी निदेशालय बाल अधिकारिता, जयपुर	रिक्त पद
4	दिनेश सिंह चारण	कनिष्ठ विधि अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर	वरिष्ठ विधि अधिकारी प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, जोधपुर	रिक्त पद
5	श्री अरविन्द सिंह राजपुरोहित	उप विधि परामर्शी जिला कलक्टर कार्यालय पाली	वरिष्ठ विधि अधिकारी जिला परिषद कार्यालय, पाली	रिक्त पद
6	श्री राजू सिंह	कनिष्ठ विधि अधिकारी जिला कलक्टर कार्यालय जोधपुर	वरिष्ठ विधि अधिकारी पुलिस आयुक्त कार्यालय, जोधपुर महानगर, जोधपुर	रिक्त पद
7	रूचि शर्मा	कनिष्ठ विधि अधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जयपुर	कनिष्ठ विधि अधिकारी होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग, जयपुर	रिक्त पद

श्री दिनेश सिंह चारण, कनिष्ठ विधि अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 17.10.2019 से प्राविधिक शिक्षा मंडल, जोधपुर के कनिष्ठ विधि अधिकारी के रिक्त पद का अतिरिक्त कार्यभार के निर्देश को निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से  
  
(मधुसूदन शर्मा)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
3. संबंधित विभाग।
4. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी अतिरिक्त कार्य के स्थान पर कार्यग्रहण कर रिपोर्ट इस विभाग को अविलम्ब भिजवाये।
5. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

  
20-11-19  
संयुक्त शासन सचिव